न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 125/2020
GCMS NO. : 2020/00204

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. हीरालाल उर्फ हीराराम पुत्र किशनाराम जाति– कुमावत, निवासी– बेरा पाबूसर निमाज, तहसील– जैतारण जिला– पाली (राज.)		1. पटवारी, पटवार हल्का– निमाज–1, निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राजस्थान)। 2. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 3. आर. आई., भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र – निमाज, निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज0)

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

तारीख रजूः–06.10.2020

उपस्थितः–

1. श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. सरकार पैरोकार, राज तहसीलदार।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 26/07/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया किसायल हीरालाल की कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1131/3 रकबा 15 बीघा का 2/5 वां हिस्सा 6 बीघा सरहद मौजा– निमाज, पटवार हल्का– निमाज–1, भू.अभि.नि. क्षेत्र– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राजस्थान) जोधपुर–जयपुर मुख्य हाईवे सड़क के चिपते ही मुख्य सड़क पर आई हुई है, जिस पर सायल हीरालाल काबिज होकर 23 वर्षो से काश्त कर रहा है तथा सायल हीरालाल की उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा जोधपुर–जयपुर मुख्य हाईवे सड़क के चिपते ही है जिसे नजरी नक्शा में ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है तथा खसरा नम्बर 1131/3 का 2/5वां हिस्सा यानि 6 बीघा खसरा नम्बर 1131/4 के बाद यानि खसरा नम्बर 1131/4 के पीछे स्थित है जिसे नजरी नक्शा में सी.डी. ई.एफ से दर्शाया गया है, उक्त दोनों खसरा नम्बर 1131/4 व खसरा नम्बर 1131/3 का 2/5 वां हिस्सा कुल कृषि भूमि 16 बीघा 18 बिस्वा पर सायल हीरालाल खातेदार काबिज होकर काश्त करता है जिसे नजरी नक्शा में ए,बी,सी,डी,ई. एफ से दर्शाया गया है। सायल हीरालाल [illegible] में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा सरहद मौजा– निमाज, तहसील– जैतारण रामेश्वर पुत्र चांदकरण जी कौम ब्राह्मण, निवासी– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राजस्थान) से दिनांक 30.07.1997 को जरिये विक्रय विलेख खरीद की थी तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

उक्त खसरा नम्बर 1131/4 सरहद मौजा- निमाज, तहसील- जैतारण में सायल हीरालाल का म्यूटेशन भी दर्ज हो गया, उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 सरहद मौजा- निमाज, तहसील- जैतारण मुख्य जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे सड़क पर है। इससे पूर्व रामेश्वर पुत्र चांदकरण जी, ब्राह्मण, निवासी- निमाज वक्त सेटलमेन्ट से जोधपुर-जयपुर हाईवे मुख्य सड़क पर कब्जा काश्त खातेदार थे तथा रामेश्वर जी पुत्र चांदकरण जी ने सायल हीरालाल को उक्त कृषि भूमि का कब्जा जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे पर ही सुपुर्द किया था, मूल खसरा नम्बर 1131 का तरमीम जमाबन्दी में संवत 2024 से चला आ रहा है, लेकिन पटवारी जी के राजस्व रेकर्ड नक्शा व राजस्व रेकर्ड मोमी ट्रेश रेकर्ड में तरमीम को नहीं दर्शाया गया था या दर्ज नहीं किया गया था। सायल हीरालाल बाद खरीद दिनांक 30.07.1997 से उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 सरहद मौजा- निमाज, तहसील- जैतारण पर खातेदार काबिज होकर काश्त करता है। सायल हीरालाल व इससे पूर्व रामेश्वर जी ने उक्त कृषि भूमि का उपयोग-उपभोग किया है तथा समय- समय पर उक्त कृषि भूमि को ओर उपजाऊ बनाने के लिए लाखों रूपये खर्च किये है तथा उक्त कृषि भूमि को कृषि के लिए बनाया है। सायल हीरालाल को उक्त कृषि भूमि से प्राप्त आय से सायल हीरालाल अपनी व अपने परिवार की आजीविका चलाता है। नकल जमाबन्दी संवत् 2028 से लगातार ताजा जमाबन्दी तक वाद-पत्र के साथ पेश है। दिनांक 01.08.2020 को आर. आई. साहब व पटवारी जी, निमाज उक्त खसरा नम्बर 1131/4 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा सरहद मौजा-निमाज, तहसील- जैतारण, जिला- पाली (राजस्थान) जो जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे सड़क के चिपते ही स्थित है एवं खसरा नम्बर 1131/3 का 2/5 वां हिस्सा 6 बीघा, जो 1131/4 के बाद है यानि खसरा नम्बर 1131/4 के पीछे है, वहां मौके पर तथा सायल हीरालाल को वहां से हटने के लिए कहा तथा आर.आई. साहब व पटवारी जी, निमाज ने सायल हीरालाल को कहा कि यह कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/2 व खसरा नम्बर 1131 है, जिस पर अभी तुम काबिज हो और यह सरकारी भूमि है तथा यह भी कहा कि तुम्हारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 तो खसरा नम्बर 1131 के बाद आती है तथा 1131/3 का 2/5 वां हिस्सा 6 बीघा . खसरा नम्बर 1131/4 के बाद आता है, जिनका दोनों खसरा नम्बरान का कोई रास्ता नहीं है तथा ना ही तुम्हारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे सड़क पर है तथा ना ही खसरा नम्बर 1131/3 का 2/5 वां हिस्सा 6 बीघा खसरा नम्बर 1131/4 के बाद। जिसका रेकर्ड भी आर.आई साहब तथा पटवारी जी, निमाज ने सायल हीरालाल को बताया। आर. आई. साहब व पटवारी जी, निमाज ने सायल हीरालाल को वहां से हटने के लिए कहा तथा यह भी कहा कि अगर सायल हीरालाल अपने आप नहीं हटता तो सायल हीरालाल को प्रशासन के बल से जबरदस्ती वहां बेदखल किया जायेगा, अगर ऐसा हुआ तो सायल हीरालाल को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है, क्योंकि सायल हीरालाल व रामेश्वर जी ब्राह्मण से उक्त कृषि भूमि 1131/4 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा जोधपुर- जयपुर मुख्य हाईवे सड़क के चिपते ही ली थी, जिस पर पूर्व में रामेश्वर जी ब्राह्मण व वर्तमान में सायल हीरालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

काबिज है, प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन भी सायल हीरालाल के पक्ष में है, इसिलिये जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायलान को, सायल हीरालाल को बेदखल करने से रोका जावें। आर. आई. साहब व पटवारी जी, निमाज के द्वारा सायल हीरालाल को अपनी कृषि भूमि पीछे बताने पर सायल हीरालाल तहसील कार्यालय, जैतारण आया तथा अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 के राजस्व रेकर्ड में तरमीम के सम्बन्ध में आदेश की मांग की तो तहसील कार्यालय, जैतारण में रेकर्ड नहीं होना बताया तथा उसके बाद सायल हीरालाल ने आर. आई. साहब पटवारी जी, निमाज मूल खसरा नम्बर 1131 के सम्बन्ध में खसरा नम्बर 1131/4, खसरा नम्बर 1131/3 तथा आस-पास के सभी खसरा नम्बरान का नक्शा ट्रेश प्राप्त किया, जिस नक्शा ट्रेश के अनुसार सायल हीरालाल की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 मूल खसरा नम्बर 1131 के पीछे है तथा खसरा नम्बर 1131/3 का 2/5 वां हिस्सा 6 बीघा खसरा नम्बर 1131/4 के बाद, जिन दोनों खसरा नम्बरान का कोई रास्ता भी नहीं है, तो सायल हीरालाल ने उक्त नक्शा ट्रेश राजस्व रेकर्ड में तरमीम करने के सम्बन्ध में आर. आई. साहब व पटवारी जी, निमाज से आदेश की मांग की कि किस आदेश से उक्त राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया गया है? तो आर. आई. साहब व पटवारी जी, निमाज ने ऐसा कोई भी राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेश में तरमीम के लिए आदेश नहीं होना बताया तथा आर. आई. साहब व पटवारी जी, निमाज ने सायल हीरालाल को बताया कि हमने जो कर दिया वो सही है, अब तुम इस जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे पर स्थित कृषि भूमि से हट जाओं यह भूमि सरकारी है तथा सरकारी रेकर्ड में दर्ज है, अगर नहीं हटोगें तो जबरदस्ती तुम्हें यहां से हटायेगें। जबकि वास्तविकता यह है कि सायल हीरालाल व सायल हीरालाल से पूर्व उक्त कृषि भूमि खातेदार रामेश्वर जी ब्राह्माण खसरा नम्बर 1131/4 सरहद मौजा- निमाज जो जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे सड़क के चिपते ही स्थित है वक्त सेटलमेन्ट से काबिज होकर कब्जा काश्तकार है। रामेश्वर जी ब्राह्माण उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 सरहद मौजा- निमाज पर वक्त सेटलमेन्ट से काबिज है तथा सायल हीरालाल मौके पर भी 1131/4 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा पर काबिज है तथा उसके बाद ही सायल हीरालाल की खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/3 रकबा 15 बीघा का 2/5 वां हिस्सा यानि 6 बीघा, जो सायल हीरालाल ने केलकी बेवा लाबूराम जी से दिनांक 27.08.1997 को जरिये विक्रय विलेख खसरा नम्बर 1131/3 में से 3 बीघा खरीद की तथा धनाराम पुत्र लाबूराम जी से दिनांक 03.03.2008 को जरिये विक्रय विलेख खसरा नम्बर 1131/3 में से 3 बीघा खरीद की इस तरह से सायल हीरालाल जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे सड़क पर अपने खातेदारी कृषि भूमि 16 बीघा 18 बिस्वा पर ही काबिज है, इसके अलावा वहां ज्यादा कृषि भूमि नहीं है। इस तरह गलत तरमीम राजस्व रेकर्ड नक्शा में अमल दरामद कर दिया गया है, जो गलत तरमीम इन्द्राज [illegible] है, जो काबिले दुरुस्त के है। जब भी मूल खसरा तरमीम होता है तो उसके बट्टा-बट्टी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स क्रमबद्ध (sequence) में होते है, जबकि [illegible] मूल खसरा नम्बर 1131 के बट्टा-बट्टी तरमीम में सबसे पहले जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे सड़क के चिपते ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

खसरा नम्बर 1131/2 है, बाद में मूल खसरा नम्बर 1131 है, उसके बाद खसरा नम्बर 1131/4 है, उसके बाद खसरा नम्बर 1131/3 है तथा अन्त में उसके बाद 1131/1 दर्ज किया गया है, जो गलत होने से काबिले दुरुस्त के है। क्योंकि जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे सड़क पर मूल खसरा नम्बर 1131 का खसरा नम्बर 1134/4 दर्ज किया जाना चाहिए था, उसके बाद खसरा नम्बर 1131/3, उसके बाद खसरा नम्बर 1131/2, उसके बाद खसरा नम्बर 1131/1 व अन्त में खसरा नम्बर 1131 नक्शा में तरमीम किया जाना चाहिए था। लेकिन तत्कालिन पटवारी ने जानबूझकर उक्त खसरा नम्बर को गलत नक्शा ट्रेश में तरमीम कर गलत तरीके से दर्शाया गया है, जो गलत तरमीम काबिले दुरुस्त है, इसलिये वाद घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरुस्त करने प्रविष्टि व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। नक्शा ट्रेश व मौके का नजरी नक्शा वाद-पत्र के साथ पेश है। सायल हीरालाल ने वर्तमान पटवारी व तहसीलदार जी के समक्ष उपस्थित होकर नक्शा में तरमीम दुरुस्त करने हेतु प्रार्थना की तो उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। सायल हीरालाल ने गैरसायल संख्या 1 पटवारी जी को दिनांक 16.08.2020 को नक्शा ट्रेश में अपनी कृषि भूमि का तरमीम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया तो गैरसायल संख्या 1 पटवारी जी द्वारा इन्कार कर दिया गया, जिस पर सायल हीरालाल ने गैरसायल संख्या 1 को राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम किस आदेश से होना पूछा तो गैरसायल संख्या 1 पटवारी जी व आर. आई. साहब ने सायल हीरालाल को बताने से साफ मना कर दिया, इसिलिये सायल हीरालाल के पास अन्य कोई विकल्प नहीं रहने से सायल हीरालाल अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना- पत्र विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। सायल हीरालाल ने समस्त दस्तावेजात जिसमें सायल हीरालाल की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 1131/3 का 2/5वां हिस्सा 6 बीघा सरहद मौजा-निमाज, पटवार हल्का- निमाज-1, भू.अभि.नि. क्षेत्र- निमाज, तहसील- जैतारण, जिला- पाली (राजस्थान) में तत्कालीन आर.आई. साहब व पटवारी जी की गलती से सायल हीरालाल की कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम गलत कर दिया गया, जो काबिले दुरुस्त के है, जिसे दुरुस्त किया पटवार जाकर राजस्व रेकर्ड में सायल हीरालाल की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा सरहद मौजा- निमाज, हल्का- निमाज-1, भू.अभि.नि.क्षेत्र- निमाज, तहसील- जैतारण, जिला- पाली(राजस्थान) को जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे सड़क के चिपते ही तथा खसरा नम्बर 1131/3 का 2/5 वां हिस्सा 6 बीघा, खसरा नम्बर 1131/4 के बाद यानि खसरा नम्बर 1131/4 के पीछे, जहां सायल हीरालाल काबिज होकर काश्त करता है , राजस्व रेकर्ड में तरमीम का सही इन्द्राज किया जावें, इस बाबत् सायल हीरालाल का घोषणा का वाद- पत्र व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरस[illegible] के पेश है। दिनांक 01.08. 2020 को आर. आई. साहब व [illegible] नम्बर 1131/4 सरहद मौजा- निमाज, पटवार [illegible] तहसील- जैतारण, जिला- पाली(राजस्थान) जो जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे [illegible]क के चिपते ही स्थित है तथा खसरा नम्बर 1131/3 का 2/5 वां हिस्सा 6 बीघा जो खसरा नम्बर 1131/4 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बाद स्थित है, वहां मौके पर आये तथा सायल हीरालाल को वहां से हटने के लिए कहा तथा आर. आई. साहब व पटवारी जी, निमाज ने सायल हीरालाल को कहा कि यह कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/2 व खसरा नम्बर 1131 है, जिस पर अभी तुम काबिज हो और यह सरकारी भूमि है तथा यह भी कहा कि तुम्हारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 तो खसरा नम्बर 1131 के बाद आती है तथा खसरा नम्बर 1131/3 का 2/5 वां 6 बीघा जो 1131/4 के बाद स्थित है, जिसका कोई रास्ता नहीं है तथा ना ही तुम्हारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे पर है तथा खसरा नम्बर 1131/3 का 2 / 5 वां हिस्सा खसरा नम्बर 1131/4 के बाद। जिसका रेकर्ड भी आर. आई. साहब तथा पटवारी जी, निमाज ने बताया। आर. आई. साहब व पटवारी जी, निमाज ने सायल हीरालाल को वहां से हटने के लिए कहा तथा यह भी कहा कि अगर सायल हीरालाल अपने आप नहीं हटता तो सायल हीरालाल को प्रभावी तरीके वहां से बेदखल किया जायेगा, अगर ऐसा हुआ तो सायल हीरालाल को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है, क्योंकि सायल हीरालाल ने रामेश्वर जी ब्राह्माण से उक्त कृषि भूमि 1131/4 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे सड़क के चिपते ही ली थी, जिस पर पूर्व में रामेश्वर जी ब्राह्माण व वर्तमान में सायल हीरालाल खातेदार काबिज होकर काश्त करता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/3 रकबा 15 बीघा में से 2/5 वां हिस्सा यानि 6 बीघा, जो सायल हीरालाल ने केलकी बेवा लाबूराम जी से दिनांक 27.08.1997 को जरिये विक्रय विलेख खसरा नम्बर 1131/3 में से 3 बीघा खरीद की तथा धनाराम पुत्र लाबूराम जी से दिनांक 03.03.2008 को जरिये विक्रय विलेख खसरा नम्बर 1131/3 में से 3 बीघा खरीद की इस तरह से सायल हीरालाल जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे पर अपने खातेदारी कृषि भूमि 16 बीघा 18 बिस्वा पर ही खातेदार काबिज होकर काश्त करता है, जिससे सायल हीरालाल के पक्ष में प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायल हीरालाल के पक्ष में है, इसिलिये जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायलान को, सायल हीरालाल को बेदखल करने से दावा के निस्तारण तक रोका जावें। अतः सायल हीरालाल उर्फ हीराराम की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ-पत्र श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब तक सायल हीरालाल की कब्जा काश्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा सरहद मौजा- निमाज, पटवार हल्का- निमाज-1, भू.अभि.नि.क्षेत्र दृ निमाज, तहसील- जैतारण, जिला- पाली(राजस्थान), जो जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे सड़क के चिपते ही स्थित है जिसे नजरी नक्शा में ए,बी,सी,डी से दर्शाया गया है तथा खसरा नम्बर 1131/3 का 2/5 वां हिस्सा 6 बीघा जो खसरा नम्बर 1131/4 के बाद स्थित है यानि खसरा नम्बर 1131/4 के [illegible] नक्शा में सी,डी,ई,एफ से दर्शाया गया है, का राजस्व रेकर्ड नक्शा में [illegible] नहीं हो जाये तब तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायलान व [illegible], नौकर- चाकर, हाली- एजेन्ट को सायल हीरालाल को अपनी कृषि भूमि से बेदखल करने से दावा के निस्तारण तक रोका जावें, ऐसी अस्थायी निषेधाज्ञा सायल हीरालाल के पक्ष में तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

गैरसायलान के विरुद्ध जारी फरमावें। तथा सायल हीरालाल उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1131/4 सरहद मौजा- निमाज, पटवार हल्का- निमाज-1, तहसील- जैतारण, जिला- पाली(राजस्थान) जो जोधपुर-जयपुर मुख्य हाईवे सड़क के चिपते ही स्थित है तथा खसरा नम्बर 1131/3 का 2/5 वां हिस्सा 6 बीघा जो खसरा नम्बर 1131/4 के बाद स्थित है; में काश्त करे या करावें तथा जमीन का उपयोग व उपभोग करें, उसमें गैरसायलान तथा गैरसायलान के कर्मचारी नौकर-चाकर, हाली- एजेन्ट किसी तरह की दखलअन्दाजी उत्पन्न नहीं करे तथा उक्त कृषि भूमि का जब तक राजस्व रेकर्ड नक्शा में सही तरमीम नहीं हो जावें तब तक गैरसायलान कृषि भूमि मूल खसरा नम्बर 1131 के सम्बन्ध में सभी खसरों की रेकर्ड की स्थिति व मौका की स्थिति में परिवर्तन नहीं करें, गैरसायलान को ऐसा करने से दावा के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी निमाज प्रथम में खसरा संख्या 1131/4 रकबा 10-18 बीघा किस्म बारानी दोयम हीरा पुत्र किशना कौम कुम्हार सा. देह, खसरा संख्या 1131/3 रकबा 15-00 बीघा किस्म बारानी दोयम में भंवरलाल, पेमाराम, सम्पतराज, देवाराम, सीता, कमली, सोनी पि. हीराराम, हीराराम पुत्र किशनाराम 1/5 हीराराम पुत्र किशनाराम 1/5 में सहखातेदार दर्ज है। ग्राम निमाज में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 23.06.1969 को 10 साला आवंटन किए गये जिसकी पालना में नामान्तरण संख्या 342 दर्ज कर स्वीकार हुआ। खसरा संख्या 1131/3 रकबा 10-18 बीघा रामेश्वर वल्द चांदकरण को आवंटन किया गया। इसी नामान्तरण संख्या 342 में नजरी नक्शा बना हुआ है। नजरी नक्शा अनुसार खसरा संख्या 1131/3 मुख्य सड़क के पास नही होकर काफी दूर है। वर्तमान में जमाबंदी में रकबा 10-18 बीघा वाले खसरे का नम्बर 1131/4 है जो भी वर्तमान तरमीम अनुसार मुख्य सड़क पर न होकर सड़क से दूर है। वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसका खसरा संख्या 1131/4 रकबा 10-18 बीघा एवं उसके लगता ही खसरा संख्या 1131/3 रकबा 15-00 बीघा में से 2/5 हिस्सा यानि 06-00 बीघा मिलाकर कुल 16-18 बीघा एक चक स्थित है। दोनो खसरे साथ साथ होना स्वीकार किया है। आवंटन के समय खसरा संख्या 1131/2 रकबा 15-00 बीघा वर्तमान में 1131/3 रकबा 15-00 बीघा दर्ज है। वर्तमान में 1131/2 रकबा 00-11 बीघा गै.मु. सड़क दर्ज है। खसरा संख्या 1131/1 अन्य खातेदार का है जो सड़क से काफी दूर है। बट्टा नम्बर 1131/1 अन्त में है, उसके पास खसरा संख्या 1131/3 उसके पास में खसरा संख्या 1131/4 एवं उसके बाद खसरा संख्या 1131 मूल एवं सड़क के पास खसरा संख्या 1131/2 गै.मु. सड़क है। उक्त खसरा संख्या 1131 रकबा 15-00 बीघा किस्म बारानी दोयम राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। वर्तमान तरमीम अनुसार एनएच-112 निमाज-बर सड़क के पास खसरा संख्या 1131/2 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

00-11 बीघा है। उसके बाद खसरा संख्या 1131 रकबा 15-00 बीघा सरकारी खसरा है। इसी अनुरूप मौके पर है। मौके पर खसरा संख्या 1131 पड़त है। उबड़-खाबड़ भूमि होने के कारण यह काश्त योग्य भी नही है। वादी का दावा अस्वीकार/खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र विरूद्ध तहसीलदार जैतारण एवं पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक निमाज प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1131/4, खसरा संख्या 1131/3 जो प्रार्थी की खातेदारी आराजी है जो सड़क मार्ग के चिपते ही आयी हुई हैं। खसरा संख्या 1131/4 सड़क मार्ग की ओर तथा इसके पिछे खसरा संख्या 1131/3 की आराजी आती है। लेकिन पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक निमाज प्रार्थी को आराजी से बेदखल करने पर आमादा है तथा उनका कहना है कि आपकी आराजी खसरा संख्या 1131 के बाद आती है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी की तरमीम भी ऑनलाईन कार्य के दौरान गलत रूप से कर दी गई है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित है।

अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि खसरा संख्या 1131 सिवाय चक आराजी है सड़क मार्ग के पास खसरा संख्या 1131/2 गै.मु. सड़क एवं उसके बाद 1131 सिवाय चक भूमि है। तरमीम में कोई त्रुटि नही है तथा खसरा संख्या 1131/3 व 1131/4 की भूमि सड़क से दूर स्थित है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

चूंकि प्रार्थी द्वारा अपने कथनो के समर्थन में कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नही किए है तथा तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार तरमीम में त्रुटि नही है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष साबित होना नही माना जा सकता है अतः यह बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :- चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित हुआ हैं, साथ ही तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार सड़क से लगता हुआ खसरा संख्या 1131 सिवाय चक भूमि है जो मौके पर ऊबड़ खाबड़ तथा नाकाबिल काश्त है, प्रार्थी द्वारा ऐसी भूमि पर [illegible] नही है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही माना जा सकता तथा प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति होना संभव नही है अतः उपर्युक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होनें से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 26/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:08 IST
Reason: SelfAttested